पत्र सं०—08 / ज०सं०(नि०) कोर्ट केस—12—21 / 2015 :—

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री जितेन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, बरही द्वारा बरती गई अनियमितता के लिए उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०— 4456 दिनांक— 14.12.2010 एवं संशोधित संकल्प सं०— 1380 दिनांक— 16.05.2011 द्वारा असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली— 1930 के नियम— 55 के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप प्रमाणित (श्री कुमार के विरूद्ध) नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

2. उक्त जाँच प्रतिवेदन पर विभागीय उड़नदस्ता का मंतव्य प्राप्त किया गया जिसमें विभागीय उड़नदस्ता द्वारा अनियमितता की पूर्व प्रतिवेदित राशि रू० 795165.42 /— को घटाकर राशि रू० 422104.35 /— प्रतिवेदित किया गया। उक्त संचालन पदाधिकारी एवं विभागीय उड़नदस्ता के मंतव्य में भिन्नता होने के कारण स्पष्ट मंतव्य हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक— 2006 दिनांक— 13.03.2014 के द्वारा अभियंता प्रमुख—II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय कमिटी गठित की गयी, जिसमें गठित कमिटी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

3. किन्तु विभागीय उड़नदस्ता से रू० 422104.35 /— के अधिकाई भुगतान होने के मंतव्य प्राप्त होने के कारण उक्त मामले में नये सिरे से असैनिक सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली— 1930 के नियम— 55 के तहत् विभागीय संकल्प सं०— 5523 दिनांक— 30.10.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया। इसी क्रम में श्री कुमार द्वारा याचिका सं० — WP(S) No- 5748/2015 माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया। उक्त वाद में दिनांक— 27.01.2016 को पारित न्यायनिर्णय में उक्त नये सिरे से संचालित विभागीय कार्यवाही को निरस्त करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा (आरोपी पदाधिकारी से) प्राप्त कर निर्णय लेने हेतु आदेश दिया गया।

4. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायनिर्णय के अनुपालन में विभागीय पत्रांक— 2899 दिनांक— 27.05.2016 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। उक्त द्वितीय कारण पृच्छा के आलोक में प्राप्त उत्तर की विभाग द्वारा गहन समीक्षा में पाया गया कि अवशेष कार्य आरम्भ करने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल के दल द्वारा जाँच किये जाने की प्रक्रिया होने के बावजूद विचाराधीन कार्य में वगैर Pre-level जाँच के कार्य को आरम्भ कराना प्रथमद्रष्टया इस कार्य को सम्पन्न कराने में कनीय अभियंता, सहायक अभियंता (श्री कुमार) तथा कार्यपालक अभियंता तीनों दोषी है।

5. उक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री जितेन्द्र कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में Pre-level की जाँच नहीं कराये जाने के लिए दिये गये तथ्य कि इस आरोप के लिए

सहायक अभियंता/कनीय अभियंता दोषी नहीं होते है, से असहमत होते हुए द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

1. निन्दन
2. एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक

अतएव एतद द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह0/-

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 5542 राँची/दिनांक 08/12/2016

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कार्यपालक अभियंता, गुण-नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर/श्री जितेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता, गुण-नियंत्रण प्रमण्डल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vinay 08/12/2016

(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव